कमलेश कुमार बनाम नवल कोलोनाइजर
2021/23

क्र. स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से—	विशेष विवरण
	9/12/2024	पत्रावली पेश हो। नकल [illegible] 0.12 के बरक [illegible] 0.00 नियम C.P.C. के [illegible] 18/12/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	18/12/24	प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों को आदेश 07 R11 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 38 ने अपनी बहस में आदेश 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 38 का वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील वादी ने अपनी बहस में जवाब आदेश 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 38 का आदेश 07 R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का, प्रार्थी/प्रतिवादी का आदेश 07 R11 CPC, जवाब आदेश 07 R11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी वकील की आपत्ति पर वादी वकील ने आराजी 10000 3314/1 को वाद से हटाने के लिए निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं. 38 का आदेश 07 R11 CPC का निर्णय को पेश किया। सुरक्षित रखते वादी को आदेश दिये दिया जाता है कि वाद से आराजी 10000 3314/1 को हटाने के लिए संशोधित वाद पेश करे। पत्रावली वास्ते संशोधित वाद पेश करने हेतु दि. 8/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	8/1/25	पत्रावली पेश है। वकील [illegible] वादी ने वादपत्र को विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र 8/30 पेश किया। पत्रावली पेश किया हुआ है। 33 का वादपत्र वकील की आपत्ति [illegible] वादी की ओर से वाद को [illegible] पर वादी को वादपत्र विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है व प्रार्थना पत्र 8/30 अनुमति दी जाती है। अधिक [illegible] 33 का वादपत्र खारिज किया जाता है। अधिक [illegible] वादी का वाद विड्रा [illegible] पत्रावली [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
सांगानेर जयपुर

प्रकरण संख्या /2022

कमलेश कुमार सैन बनाम नवल कोलोनाइजर वगैरह

सूचना

नाम :- कमलेश कुमार सैन

पिता/पति का नाम :- रामेश्वर कुमार सैन

आयु :-

जाति :- नाई

निवासी :- 60, कल्याण कुंज, कालावास रोड़ सोडाला जयपुर

मोबाईल नं. :-

व्यवहार का पता :-

अधिवक्ता का नाम :- कैलाश चन्द
अधिवक्ता का मो. न. :- 9460334120
रजिस्ट्रेशन नं. :-
अधिवक्ता की ईमेल :-

अण्डरटैकिंग

मैं कमलेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी रामेश्वर कुमार उम्र .... वर्ष जाति नाई निवासी 60 कल्याण कुंज कालावास रोड सोडाला जयपुर निम्न प्रकार से अण्डरटेकिंग देता हूँ कि भविष्य में उक्त सूचना में कोई भी परिवर्तन होने की दशा में मैं न्यायालय को इस बावत् सूचित कर दूंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध रहूंगा।

स्थान :- सांगानेर
दिनांक :- 1/1/23

Kamlesh Kumar Sain
प्रार्थी/वादी/परिवादी